# फर्द अहकाम
(नियम–26)
# अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
## गोपीलाल पिता मगनीराम जाट
## बनाम
## मु. अणछाई पत्नि रामचन्द्र जाट निवासी दौलतपुरा वगैरा

**प्रकरण संख्या 23/2017 (रा.अ.)**

| तारीख हुक्म | *हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज* | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.09.22 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट आज भी अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्टगण की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट ने वर्ष 2017 में प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् से आदिनांक तक रेस्पोडेन्टगण की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं जबकि सात दिवस के भीतर तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश किए जाने के प्रावधान है। अधिवक्ता अपीलांट को नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए तथा न्यायहित में दिनांक 04.08.2022 को नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है फिर भी अधिक्ता अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टगण की तामील हेतु आदिनांक तक नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं। अतः प्रकरण आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |